<u>राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर</u>

<u>प्रेस–विज्ञप्ति</u>

क्रमांक : एफ.6–ए(01) परीक्षा 'क' / प्राध्यापक(स्कूल शिक्षा) / RPSC / 2022–23 / 149 दिनांक :14.06.2023

प्राध्यापक–(स्कूल शिक्षा) प्रतियोगी परीक्षा–2022 के अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच हेतु आयोग द्वारा विचारित सूचियाँ दिनांक 05.04.2023 से 12.06.2023 (कुल विषय–18) तक जारी कर दी गई हैं, शेष विषयों की विचारित सूची जारी करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। उक्त विचारित सूचियों में से प्राध्यापक–संगीत, पंजाबी व चित्रकला विषयों में सम्मिलित अभ्यर्थियों की पात्रता जॉच ऑनलाईन कराई जा रही है। इनके अतिरिक्त अन्य विषयों की विचारित सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों के विस्तृत आवेदन पत्रों की जांच आयोग द्वारा आयोजित काउन्सलिंग के माध्यम से की जावेगी। पात्रता जांच उपरान्त अन्तिम परिणाम जारी किया जावेगा।

इस संबंध में सूचित किया जाता है कि आयोग द्वारा प्रथम चरण की कांउसलिंग दिनांक 26.06.2023 से 28.07.2023 तक **राजस्थान लोक सेवा आयोग, घूघरा घाटी, अजमेर (राज0) परिसर** में आयोजित की जा रही है। काउंसलिंग कार्यक्रम, विस्तृत आवेदन पत्रों के संबंध में आवश्यक दिशा–निर्देश, काउंसलिंग पत्र व अन्य प्रपत्रादि आयोग की वेबसाईट http://rpsc.rajasthan.gov.in पर जारी किये जा रहे हैं, जिन्हें अभ्यर्थी संबंधित विषय की काउंसलिंग दिनांक से 07 दिवस पूर्व आयोग की वेबसाईट पर जारी किये काउंसलिंग कार्यक्रम के प्रेस नोट में अंकित विषयवार / रोल नम्बर वाईज तिथि के अनुसार डाउनलोड कर भरे हुए विस्तृत आवेदन पत्र की दो प्रतियों मय स्वप्रमाणित दस्तावेजों की एक प्रति व मूल दस्तावेजों के साथ निर्धारित दिनांक एवं समय पर अभ्यर्थी व्यक्तिशः काउन्सलिंग हेतु उपस्थित होवें। इस हेतु अभ्यर्थियों को आयोग द्वारा पृथक से कोई ऑफलाईन पत्र जारी नहीं किया जायेगा। आयोग द्वारा आगामी काउन्सलिंग संबंधी सूचना जरिये प्रेस–नोट एवं आयोग की वेबसाईट पर जारी कर दी जावेगी।

काउंसलिंग हेतु अभ्यर्थी निर्धारित समय पर काउंसलिंग स्थल पर उपस्थित होवें अन्यथा निर्धारित दिनांक एवं समय पर काउन्सलिंग में उपस्थित नहीं होने पर अभ्यर्थी को काउन्सलिंग से वंचित कर दिया जायेगा, इस हेतु अन्य कोई अवसर देय नहीं होगा। काउंसलिंग मे अनुपस्थित रहे अभ्यर्थी अन्तिम परिणाम हेतु विचारित नही किये जाएंगे। जिसकी जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। काउन्सलिंग में शामिल अभ्यर्थियों को आयोग द्वारा कोई यात्रा भत्ता / दैनिक भत्ता देय नहीं होगा।

(आशुतोष गुप्ता)
सचिव